



प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 15 अक्टूबर, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में आयुष्मान भारत डिजीटल मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में जनपद लखनऊ के 07 चिकित्सालयों क्रमशः डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ, वीरांगना अवन्तीबाई महिला चिकित्सालय, लखनऊ, झलकारीबाई महिला चिकित्सालय, लखनऊ, रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त चिकित्सालय राजाजीपुरम, लखनऊ, यू0पी0एच0सी0 जुबली, लखनऊ एवं यू0पी0एच0सी0 टुडियागंज, लखनऊ में गैप एनालिसिस रिपोर्ट के आधार पर बजट आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर महानिदेशालय के पत्र संख्या-1फ/2026-27/12933, दिनांक 02.09.2026 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में आयुष्मान भारत डिजीटल मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में जनपद लखनऊ के 07 चिकित्सालयों क्रमशः डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ, वीरांगना अवन्तीबाई महिला चिकित्सालय, लखनऊ, झलकारीबाई महिला चिकित्सालय, लखनऊ, रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त चिकित्सालय राजाजीपुरम, लखनऊ, यू0पी0एच0सी0 जुबली, लखनऊ एवं यू0पी0एच0सी0 टुडियागंज, लखनऊ में ई-हॉस्पिटल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु किए गए गैप एनालिसिस के आधार पर आवश्यक उपकरणों एवं सामग्री के क्रय हेतु अनुदान संख्या-32 के लेखाशीर्षक-2210-01-110-08 के मानक मद-42-अन्य व्यय में धनराशि रुपये 25.00 लाख एवं मानक मद-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर में धनराशि रुपये 475.00 लाख अर्थात् कुल धनराशि रुपये 500.00 लाख (पांच करोड़ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम के शर्त/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी0-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रश्नगत स्वीकृति हेतु वित्तीय नियमों, शर्तों एवं प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
4. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के

अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

5. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
 6. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
 7. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
 8. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
 9. शासकीय धन को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाये और यदि शासकीय धन पर कोई व्याज अर्जित किया गया हो तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाये।
2. इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 032 लेखाशीर्षक 2210011100800 जनपद लखनऊ के चिकित्सालयों में ई-हास्पिटल पायलट परियोजना मानक मद-42-अन्य व्यय (2) रुपये 4,75,00,000 (रुपये चार करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 032 लेखाशीर्षक 2210011100800 जनपद लखनऊ के चिकित्सालयों में ई-हास्पिटल पायलट परियोजना मानक मद-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-4/2026/बी0-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
चन्द्र शेखर मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
4. सहाय निदेशक, जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक (चिकित्सा उपचार/नियोजन एवं बजट), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
8. मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/चिकित्सा अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
चन्द्र शेखर मिश्र
संयुक्त सचिव।